कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा/माध्य/अ–4/ग्रा.प./ बजट घोषणा/2018–19 दिनांकः– 28/11/2019

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
(मुख्यालय)–माध्यमिक शिक्षा

विषय– नवीन गठित 48 पंचायत समितियों/ 1264 ग्राम पंचायतों के गठन के पश्चात राज्य में राउमावि विहीन ग्राम पंचायतों का मिलान करके प्रस्ताव भिजवाने हेतु।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य की राउमावि विहीन ग्राम पंचायतों में एक–एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई थी। राउमावि विहीन ग्राम पंचायतों में राजकीय विद्यालयों की क्रमोन्नति हेतु पूर्व में आपके द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर समेकित प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये गये। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में 48 नई पंचायत समितियों तथा 1264 नवीन ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है, जिससे राज्य में अब 11158 ग्राम पंचायतें हो गई है। अतः पूर्व में आपके द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के आधार पर निदेशालय स्तर पर तैयार की गई समेकित सूचना पुनः आपको प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि नवगठित 1264 ग्राम पंचायतों को शामिल करते हुए उक्त सूचना में आपके जिले से संबंधित सूचना का मिलान करते हुए आवश्यकतानुसार संशोधन कर, निर्धारित प्रपत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विहीन ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव निम्नानुसार प्रेषित करें:–

1. ग्राम पंचायत के कॉलम में यदि नवीन गठन के कारण परिवर्तन हुआ है तो नवीन गठित ग्राम पंचायत का उल्लेख करते हुए अंकन करें।
2. नवीन गठित 1264 ग्राम पंचायतों में उच्चतम विद्यालय/ ग्राम पंचायत मुख्यालय के उच्चतम विद्यालय का उल्लेख करें।
3. पूर्व में प्रेषित सूचना में यदि पंचायत समिति परिवर्तित हुई है तो तदनुसार परिवर्तन करें।
4. अब राज्य में कुल 11158 (पूर्व की 9894+नवीन गठित 1264) ग्राम पंचायतें है। अतः प्रत्येक 11158 ग्राम पंचायतों का विश्लेषण कर, उनका सीमांकन एवं क्षेत्राधिकार को ध्यान में रखते हुए इन ग्राम पंचायतों के मुख्यालय तथा ग्राम पंचायत के अधीन के गांव में उच्चतम विद्यालय की सूचना निर्धारित प्रपत्र में देवें।
5. यदि किसी ग्राम पंचायत पर उच्चतम स्तर का संस्कृत विद्यालय संचालित है, तो उसका उल्लेख करते हुए सामान्य शिक्षा के उच्चतम स्तर के विद्यालय का भी उल्लेख करें।

उक्त निर्देशों के अनुसार अपने जिले की ग्राम पंचायतों से संबंधित सूचना मिलान करते हुए संशोधित सूचना/प्रस्ताव इस कार्यालय के ई–मेल secondarydd@gmail.com पर दिनांक 30.11.2019 तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करे। इसमें किसी भी प्रकार के विलम्ब अथवा अपूर्ण सूचना की स्थिति के संबंध में आपका व्यक्तिगत उतरदायित्व माना जायेगा।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

E:\A-4 LETTER FILE 2018\001 GENRAL LETTER A-4 -2018.docx